मुन्तकिली प्रकरण सं0 22/2016 अनवानी अमरसिंह पुत्र जैला सिंह जटसिख नि0 49 जीजी तह0 करनपुर बनाम 1—मीतराम पुत्र बूटाराम जाति बाबवरी नि0 16/17 घनजातियां तह0 करनपुर 2—धन्नी पत्नि बूटाराम 3—ज्ञानो पुत्री बूटाराम 4—दलीप पुत्र बूटाराम 5—जंगीरो पुत्री बूटाराम 6—अर्जुनराम पुत्र बूटाराम 7—तहसीलदार करनपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.08.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्रीमति मन्जु गुप्ता उपस्थित है। अप्रार्थी मीतराम व ज्ञानो के अभिभाषक श्री राजेन्द्रपाल सूद उपस्थित हैं। पक्षकारान के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी मीतराम व ज्ञानो के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर में लंबित अपील प्रकरण सं0 01/2016 अनवानी अमरसिंह बनाम मीतराम आदि मय स्थगन प्रा0 पत्र सं0 2/2016 में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर में लंबित अपील प्रकरण सं0 01/2016 अनवानी अमरसिंह बनाम मीतराम आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 23.08.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर